प्रकरण संख्या 6/2023 अमित व्यास बनाम वरदा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व उसके भाई स्वर्गीय खातू द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 214 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नंबर 215 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि ग्राम पीपलोद, तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जिस पर वादीगण अपने पिता दीपा के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का उक्त आराजियात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। उक्त आराजियात रियासत के समय वादीगण के पिता दीपा शिकमी काश्तकार दर्ज थे एवं उक्त खसरा नंबरान के सबंध में धारा 20 (1) की कार्यवाही हुई थी, जिसके प्रकरण संख्या 182/61 में पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता होने से वादीगण के पिता दीपा को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, किन्तु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ, जबकि कब्जा 50 वर्षो से वादीगण का ही चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे। दौराने वाद कार्यवाही दिनांक 16.01.2006 को अमित कुमार को पक्षकार संस्थित किया गया। प्रतिवादी अमित कुमार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 16.01.2023 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6/1 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री आर. के. जैन उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा सभी मृत प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध दावा डिक्री कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। मृत प्रतिवादीगणों के नाम न्यायालय का सम्मन अखबार में प्रकाशित होने पर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा को जरिये प्रार्थना पत्र अवगत कराया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के अपीलान्ट को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का उत्तराधिकारी बनाकर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की मृत्यु दावा दायर करने से करीब 35–40 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी तथा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 5 भी बनायी है, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुए उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि जब प्रतिवादीगण के मृत्यु हुई उस वक्ता मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं था, इस कारण प्रतिवादी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। हालांकि यह दायित्व वादीगण का भी कि वे प्रतिवादीगण के जीवित होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसान को बिना पक्षकार बनाये मृत व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विधिक वारिसान को सुनवाई को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं विधिवत सुनवाई करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2019 DNJ (Rev.) Page 271, 2016 DNJ (Revenue) Page 184, 2011-12 (Supp.) RRT Page 703, 2016 (2) DNJ (Raj.) Page 927, 2017 (2) RRT Page 1047, 2011-12 (Supp.) RRT Page 673, 2011-12 (Supp.) RRT Page 675, 2018 DNJ (SC) Page 1422, 2021 (2) DNJ (Raj.) Page 733 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही सभी प्रतिवादीगणों की मृत्यु हो चुकी थी तथा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 5 बनायी गयी थी, किन्तु उक्त तनकी यह कहते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित कर दी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की मृत्यु दावा करने से पूर्व हुई अथवा बाद में तथा इनके विधिक वारिसान कौन हैं, इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। जबकि इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर होना चाहिए था कि उनके द्वारा जिन प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है, वह जीवित हैं और यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके विधिक वारिसान कौन–कौन व्यक्ति हैं। हम प्रकरण में यह पाते हैं कि दावा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 90/2004 निर्णय एवं डिक्री 16.01.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विधिक वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के स्थान पर संस्थित कर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एंव साक्ष्य लेकर पुनः साक्ष्यों के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested